



प्रामीण विकास विभाग
बिहार सरकार

अन्दर के पृष्ठों में...



ताड़ी ने दिया दर्द,
योजना ने दी खुशहाली
(पृष्ठ - 02)



मीरा देवी के जीवन में
आया नया सवेरा
(पृष्ठ - 03)



सतत् जीविकोपार्जन योजना: समर्पीपुर
योजना से लाभान्वित होकर
मुख्य धारा से जुड़ी दीदियां
(पृष्ठ - 04)

सतत् जीविकोपार्जन योजना एक नई रोह

माह - जुलाई 2022 || अंक - 12

सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत जीविकोपार्जन क्लस्टर का निर्माण

“सतत् जीविकोपार्जन योजना” अंतर्गत अत्यंत निर्धन परिवारों की पहचान के दौरान ऐसे अनेक टोले तथा क्षेत्रों की पहचान की गयी जहाँ पारम्परिक विधि से जीविकोपार्जन व्यवसाय किया जा रहा है।

इन क्षेत्रों में मुख्यतः निम्न समानताएं हैं :-

1. समुदाय के सदस्य एक तरह के समान समूह (Homogeneous Community) से आते हैं।
2. परिवारों का भौगोलिक बसावट एक दूसरे के समीप है एवं उनके द्वारा ऐसा व्यवसाय किया जा रहा है जो पारंपरिक व पिछड़ी अवस्था में है।
3. इन परिवारों को उत्पाद की गुणवत्ता, तकनीकी उन्नयन और बाजार से जुड़ाव से संबंधित एक समान चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत 12 जिलों में जीविकोपार्जन क्लस्टरों का विकास किया जा रहा है।

बांस क्लस्टर धरहरा, मुंगेर

योजना के तहत मुंगेर जिला के धरहरा प्रखंड के करेली गांव में तुरी समुदाय के लगभग 50 घरों की पहचान की गई और उन्हें योजना से जोड़ा गया है। ये परिवार पारंपरिक रूप से बांस की टोकरी बनाने के कार्य में सामिल हैं। पूँजी के अभाव, उत्पादक वस्तुओं की कमी, व्यापारियों का प्रभुत्व, मौसमी बाधा, कम आय एवं मुख्य बाजार से अलगाव इन परिवारों की प्रमुख समस्याएं हैं। इन समस्याओं के कारण ये परिवार अत्यंत गरीबी में जीवन-यापन करने को मजबूर थे।

मूल्य शृंखला विश्लेषण और व्यवहार परीक्षणों के दौरान यह पाया गया कि डिजाइन और उत्पाद रेंज जो कि इन परिवारों के द्वारा उत्पादित किया जाता है वे ज्यादातर पारंपरिक उत्पाद हैं। इसके साथ ही अन्य कारणों से गुणवत्ता एवं उत्पादकता खराब होती है। उपर्युक्त कारणों की वजह से मौजूदा उत्पादों को बाजार से जुड़ाव करना कठिन था। योजना द्वारा पूंजीकरण सहायता, कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके और तैयार उत्पादों के बाजार से जुड़ाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बांस क्लस्टर का गठन किया गया।

कौशल विकास प्रशिक्षण

योजना में चयन उपरांत अत्यंत गरीब परिवारों के आत्म-विश्वास वृद्धि एवं उद्यमिता विकास विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया जहाँ उन्हें विचौलियों की मदद के बिना व्यवसाय शुरू करने के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण और आत्मविश्वास मिला। बांस उत्पाद में तकनीकी ज्ञान वर्धन हेतु ग्राम स्तर पर दो बार 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कौशल वृद्धि और डिजाइन विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अनुभवी विषयगत विशेषज्ञों और संसाधन व्यक्तियों (Resource Person) का सहयोग लिया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य उनके कौशल को उपयोगिता और सजावटी उत्पादों जैसे लैंप शोड, पानी की ट्रे, बोतल, मग, डर्स्टबिन, हस्तशिल्प, फर्नीचर आदि के निर्माण को बढ़ाना है। वर्तमान में सभी परिवार सफलता-पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त कर बेहतर गुणवत्ता वाले बांस उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं।

सामान्य सुविधा केंद्र (CFC) की स्थापना और तकनीकी उन्नयन

उत्पादन को बड़े पैमाने पर करने तथा उसे संस्थागत बनाने के लिए, उपकरणों और मशीनों के सेट के साथ ‘सामान्य सुविधा केंद्र’ की स्थापना की गयी। उपकरण और मशीनों की खरीद जिसमें सेंडिंग, ब्लो लैंप, क्रॉस कटिंग मशीन, जिग सॉ आदि शामिल है। मशीनों के कुशल संचालन और बांस के विशेषज्ञों की मदद से गुणवत्ता वाले बांस उत्पादों के उत्पादन के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया। निरंतर सहायता, आजीविका वित्तपोषण और क्षमता निर्माण के कारण अति-गरीब परिवारों की औसतन मासिक आय प्रति व्यक्ति 5200/- रुपये से अधिक हो गई है।

झाड़ू और चूड़ी क्लस्टर

झाड़ू और चूड़ी बनाने का काम करने वाले परिवारों की आय बढ़ाने के लिए रोहतास जिले में क्लस्टर दृष्टिकोण को दोहराया जा रहा है। झाड़ू और चूड़ी समूहों में से प्रत्येक में 25 अत्यंत गरीब परिवार चयनित हैं। उनकी प्राथमिक आजीविका संसाधनों में बकरी पालन और सूक्ष्म उद्यम शामिल है। उन्होंने अपनी आजीविका के द्वितीयक स्रोत के रूप में झाड़ू और चूड़ी बनाने के कार्य को चुना है। 15 दिनों के प्रशिक्षण के पश्चात इन्होंने झाड़ू एवं चूड़ी बनाना सीख लिया। झाड़ू क्लस्टर में नारियल तथा फूल-झाड़ू का निर्माण हो रहा है एवं इनकी विक्री थोक व खुदरा विक्रेता तथा जीविका के सूक्ष्म-उद्यमों के माध्यम से की जा रही है। चूड़ी क्लस्टर में अत्यंत गरीब परिवारों द्वारा जयपुरिया चूड़ी का निर्माण किया जा रहा है जिनकी माँग शादी-विवाह एवं त्योहारों में अधिक हो जाती है। आजीविका क्लस्टर के कारण अत्यंत गरीब परिवारों के आय में 2500 रुपये तक की अतिरिक्त वृद्धि हुई है जिससे इन परिवारों की स्थिति में काफी सुधार हुआ और ये लोग बेहतर तरीके से जीवन-यापन कर रहे हैं।

ताड़ी ने दिया ढर्ढ़, योजना ने ढी खुशहाली

45 वर्षीय मराची देवी पटना जिला के फुलवारी प्रखंड स्थित रामपुर-फरीदपुर पंचायत के पसही गांव की रहने वाली हैं। इनके पति अखिलेश चौधरी पूर्व में ताड़ी का उत्पादन और बिकी का काम करते थे। दुर्भाग्यवश एक दिन ताड़ी उतारने के क्रम में अखिलेश चौधरी ताड़ के पेड़ से गिर गए। इस दुर्घटना के कारण उनका हाथ-पांव पूरी तरह जखमी हो गया। इसके बाद वे चलने-फिरने में असमर्थ हो गए। बीमार पति और एक बेटे सहित पूरे परिवार की जिम्मेदारी अब मराची देवी के कंधे पर आ गई। घर चलाने के लिए मराची देवी मजदूरी करने लगी। लेकिन मजदूरी से इतने पैसे नहीं मिल पाते थे कि वह अपने घर-परिवार का गुजारा कर सके। मराची देवी भी समय के साथ गरीबी से लड़ते-लड़ते शारीरिक रूप से कमज़ोर होती चली गई। लेकिन उसके घर की स्थिति नहीं सुधरी।

मराची देवी की दयनीय स्थिति को देखते हुए उन्हें अनमोल जीविका स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया। मराची देवी की स्थिति इतनी दयनीय थी कि इनके पास समूह की साप्ताहिक बचत तक के लिए पैसे नहीं होते थे। इसी बीच, प्रखंड में सतत् जीविकोपार्जन योजना शुरू हुई। चूंकि मराची देवी का परिवार परंपरागत रूप से ताड़ी के उत्पादन से जुड़ा था, ऐसे में उन्हें इस योजना में शामिल कर लिया गया। इसके बाद उन्हें नई आजीविका प्रारंभ करने हेतु योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इस राशि से उन्होंने श्रृंगार की दुकान शुरू की। मराची देवी को उद्यम चलाने हेतु प्रशिक्षण देने के अलावा हर प्रकार की मदद पहुंचाई गई। इससे उन्हें अपनी नई आजीविका चलाने में मदद मिली। अब इस दुकान को मराची देवी और उसके पति दोनों मिलकर चलाते हैं। दुकान से अच्छी बिक्री हो रही है और इससे प्रतिमाह लगभग 3 से 4 हजार रुपये की आमदनी होने लगी है। इससे वह अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने में सक्षम हुई हैं। अब वह और उनका परिवार खुशहाल जिंदगी जी रहा है।



अष्ट ढीदियों को योजनाक दिला रही गौरी

मुंगेर जिला के धरहरा प्रखंड में सुदूर आदिवासी बहुल करैली गांव की रहने वाली गौरी सतत् जीविकोपार्जन योजना से सहायता पाकर आज एक कुशल व्यवसायी बन गई है। गौरी देवी के पति को शराब की बुरी लत थी। वह देशी शराब बनाकर बेचने का काम करते थे। साथ ही खुद भी शराब पीते थे। इतना ही नहीं वह शराब के नशे में घर आकर अपनी पत्नी एवं बच्चों के साथ मारपीट भी किया करते थे। कमाई का सारा पैसा शराब में उड़ा दिया करते थे। इससे गौरी के घर की आर्थिक स्थिति काफी खराब होती चली गई। यहां तक कि घर में खाने के लाले पड़ गये थे।

गौरी की दयनीय स्थिति को देखते हुए आंचल जीविका ग्राम संगठन द्वारा उनका चयन सतत् जीविकोपार्जन योजना के लाभार्थी के रूप में किया गया। इसके बाद दीदी को ग्राम संगठन के माध्यम से योजना के तहत विशेष निवेश निधि (एसआईएफ) के रूप में दस हजार एवं जीविकोपार्जन निवेश निधि (एलआईएफ) के तहत बीस हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई। इस राशि से उन्होंने बांस से निर्मित वस्तुओं का व्यवसाय प्रारंभ किया। इसके तहत बांस से सूप-डिलिया एवं अन्य उत्पाद तैयार कर उसे बेचने का कार्य करने लगी। साथ ही उन्होंने अन्य महिलाओं को भी बांस से निर्मित उत्पाद बनाने हेतु प्रोत्साहित किया। इस क्षेत्र में एक कदम आगे बढ़ाते हुए गौरी गांव की महिलाओं के साथ मिलकर 17 सितंबर 2020 को विश्वकर्मा जीविका बांस उत्पादक समूह का गठन किया। गौरी को इस उत्पादक समूह का अध्यक्ष बनाया गया। बांस उत्पादों के निर्माण हेतु दीदियों द्वारा निर्मित इन उत्पादों को उत्पादक समूह के माध्यम से विक्री किया जाता है। उत्पादक समूह की अध्यक्ष गौरी बताती हैं कि – “इन उत्पादों को पटना एवं दिल्ली के बाजार में भी बेचा जाता है। इस काम से प्रत्येक दीदियों को प्रतिमाह औसतन चार से पांच हजार रुपये की अतिरिक्त आमदनी हो जाती है।”

योजना की मदद से छंटे शंकट के छाड़ल

अरवल जिला के सदर प्रखंड स्थित दुल्हन जीविका समूह की सदस्य धनमनियाँ देवी की शादी के 2-3 साल बाद ही उनके पति मानसिक बीमारी के शिकार हो गए। उसने अपने पति का काफी इलाज करवाया लेकिन वह ठीक नहीं हो सके। पति के इलाज में काफी खर्च हो जाने से धनमनियाँ देवी के घर की माली हालत दिन-प्रतिदिन बिगड़ने लगी। उसके पति अब कोई भी काम करने में असमर्थ थे। इससे घर की आमदनी बिल्कुल खत्म हो गई। उसके बाद वह दूसरे के खेतों में काम करके अपने परिवार का पालन-पोषण करने लगी।

धनमनियाँ देवी की खराब माली हालत को देखते हुए उजाला जीविका महिला ग्राम संगठन के द्वारा उन्हें सतत जीविकोपार्जन योजना के लिए चयनित किया गया। चयन के उपरांत उन्हें प्रशिक्षित किया तथा सूक्ष्म नियोजन के बाद आजीविका का चयन किया गया। इसके बाद उन्हें योजना के तहत जीविकोपार्जन निवेश निधि के रूप में 20,000 रुपया उपलब्ध कराया गया। इस राशि से उन्होंने सब्जी की दुकान का व्यवसाय प्रारंभ किया। धनमनियाँ देवी की दुकान के सही संचालन हेतु सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत समुदाय संसाधान सेवी यानी एमआरपी ने भी पूरा सहयोग दिया। इससे दुकान से धीरे-धीरे आमदनी बढ़ने लगी। धनमनियाँ देवी की दुकान से प्रतिदिन 200-300 रुपये की आमदनी होने लगी है। दुकान से होने वाली आय से वह अपने घर का गुजारा करती है और बच्चों को पढ़ाती है। इसके अलावा वह अपनी दुकान में और ज्यादा निवेश कर रही है। वह सब्जियों के साथ-साथ बादाम भी बेचती है। धनमनियाँ देवी बताती है कि सतत जीविकोपार्जन योजना की मदद से आज उसका घर-परिवार संकट से निकलकर खुशहाली की ओर अग्रसर है।



मीरा देवी के जीविन में आया नया अवेदा

मीरा देवी भोजपुर जिला की गडहनी गाँव की रहने वाली हैं। जब मीरा देवी की शादी हुई थी तो उस समय उसके पति ताड़ी और देशी शाराब का व्यवसाय किया करते थे। एक दिन ताड़े के पेड़ से गिरने से मीरा देवी के पति की मौत हो गई। दीदी पर मानो मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। परिवार और पड़ोसी ने भी उनसे दूरी बना ली। ऐसी स्थिति में बच्चों का पालन-पोषण उनके लिए चिंता का सबब था। इसके लिए वह दूसरे के घरों में झाड़ू-बर्तन करने लगी।

कठिन परिस्थिति में गुजर-बसर कर रही मीरा देवी को करीब एक वर्ष पूर्व शक्ति जीविका महिला ग्राम संगठन के द्वारा सतत जीविकोपार्जन योजना से जोड़ा गया। इसके बाद योजना के तहत उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए नई आजीविका से जोड़ा गया। ग्राम संगठन के माध्यम से प्राप्त हुए 20,000 रुपये की आरंभिक पूँजी से उसने ब्यूटी पार्लर सह सिलाई केन्द्र का कार्य प्रारंभ किया। इस व्यवसाय के सफल संचालन हेतु मीरा दीदी को प्रशिक्षित भी किया गया। परिणाम स्वरूप वह अच्छी तरह अपना व्यवसाय कर रही हैं। इस दुकान से उन्हें प्रतिमाह 15000 से 20000 रुपये तक की आमदनी हो रही है। मीरा देवी के इस व्यवसाय की 20000 रुपये से शुरू की थी, जिसकी कुल परिसंपत्ति बढ़कर आज करीब 70000 रुपये हो चुकी है। दीदी काफी मेहनत एवं लगन से यह व्यवसाय चला रही हैं। इससे होने वाली आमदनी से वह न केवल अपने घर का गुजारा करती है बल्कि वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दे रही हैं।



क्षतत् जीविकोपार्जन योजना

जिला एवं राज्य क्षतर्कीय कार्यक्रम एवं समीक्षा



जीविका, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800021, वेबसाइट : www.brlps.in

संपादकीय टीम

- श्रीमती महुआ राय चौधरी – कार्यक्रम समन्वयक (जी.के.एम.)
- श्री अंजीत रंजन, राज्य परियोजना प्रबंधक (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन)
- श्री पवन कुमार प्रियदर्शी – परियोजना प्रबंधक (संचार)

संकलन टीम

- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, समरतीपुर
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, पूर्णिया
- श्री बिल्लव सरकार – प्रबंधक संचार

- श्री विकास कुमार राव – प्रबंधक संचार, सुगौली
- श्री हिमांशु पाहवा – प्रबंधक गैर कृषि

जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सी.ई.ओ.) श्री राहुल कुमार द्वारा 26 मई 2022 को अरबल जिले का क्षेत्र परिभ्रमण किया गया। इस दौरान उन्होंने अरबल जिले में सतत् जीविकोपार्जन योजना की लाभार्थी मिंता देवी एवं धनमनियाँ देवी द्वारा संचालित आजीविकाओं का अवलोकन करते हुए उनसे संवाद स्थापित किया। इस अवसर पर मिंता देवी ने सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़ने से हुए फायदे के बारे में जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को विस्तार से बताया। मिंता देवी ने बताया कि इस योजना के लिए उसका चयन कैसे हुआ और इसके तहत अब तक उन्हें कितनी सहायता राशि प्राप्त हुई है। दीदी ने बताया कि योजना से मिली वित्तीय सहायता से वह दुकान चला रही है। दुकान से प्रतिदिन औसतन 600–700 रुपये तक की बिक्री हो जाती है। इस व्यवसाय से होने वाली आय से वह अपने परिवार का भरण–पोषण अच्छी तरह से कर रही है। इसके अलावा उन्होंने जीविका की मदद से सरकारी योजनाओं से जुड़ाव के बारे में भी जानकारी दी। इस अवसर पर जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने वहां मौजूद जिला प्रशासन के पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि मिंता देवी को प्रधानमंत्री आवास योजना एवं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत शौचालय का लाभ जल्द दिया जाए।

इसी तरह उजाला जीविका महिला ग्राम संगठन की सदस्य धनमनियाँ देवी सतत् जीविकोपार्जन योजना से मिली मदद से सब्जी की दुकान चला रही है। मुख्य कार्यलापालक पदाधिकारी ने धनमनियाँ देवी की सब्जी दुकान का भ्रमण कर उनसे बातचीत की। इस दौरान धनमनियाँ दीदी ने बताया कि इस दुकान से वह प्रतिदिन औसतन 1,000–1200 रुपये तक की सब्जियों की बिक्री कर लेती है। दुकान की अमदनी से उसने भुंजा–बादाम बेचने हेतु एक ठेला भी लगवा लिया है। इससे उसके घर की आमदनी बढ़ गई है। धनमनियाँ देवी ने सरकारी योजनाओं से मिले लाभ के बारे में भी जानकारी दी। इसके बाद मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने धनमनियाँ देवी को प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी सतत् जीविकोपार्जन योजना राज्य में गरीबी उन्मूलन एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं एवं उनके परिवारों के आर्थिक स्वावलंबन तथा सशक्तिकरण की दिशा में मिल का पत्थर साबित हो रही है। अप्रैल 2018 से प्रारंभ की गई सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़कर गरीबी रेखा से भी नीचे गुजर–बसर कर रहे हजारों परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। सतत् जीविकोपार्जन योजना के लिए टेक्निकल पार्टनर बंधन द्वारा योजना के कार्यों को गति प्रदान करने के उद्देश्य से ‘सतत् जीविकोपार्जन योजना : इवेंट एक्सचेंज प्रोग्राम’ 28 से 30 मई 2022 तक पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में बंधन और जीविका टीम बतौर प्रतिभागी उपस्थित रहे। तीन दिनों तक चले कार्यक्रम में योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु बनाई जा रही रणनीति पर चर्चा हुई। कार्यक्रम के अंतिम दिन जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी श्री राहुल कुमार उपस्थित रहे। इस अवसर पर श्री राहुल कुमार ने कहा कि आगामी 15 अगस्त तक जीविका दीदियों को बिहार में चल रही सभी सरकारी योजनाओं से जोड़ना हमारी प्राथमिकता है।